राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर।

अपील संख्या ......91 एवं 92/2016..............................जिला...........जोधपुर..

उनवान – मैसर्स ए0पी0एन0 इण्डस्ट्रीज, बी0जे0एस0, जोधपुर बनाम् सहायक आयुक्त, वा.क., वृत्त–अ, जोधपुर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	खण्डपीठ **श्री खेमराज, अध्यक्ष** **श्री मदन लाल, सदस्य**	
01/08/2016	अपीलार्थी के अधिवक्ता श्री ओ.पी.माहेश्वरी एवं विभाग की ओर से उप–राजकीय अधिवक्ता श्री डी.पी.ओझा उपस्थित। यह दोनों अपीलें अपीलीय प्राधिकारी जोधपुर–प्रथम, वाणिज्यिक कर, जोधपुर के अपील संख्या 42 एवं 46/आरवेट/जेयूए/15–16 में पारित किये गये आदेश दिनांक 28.12.2015, जो राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे **"वैट अधिनियम"** कहा जायेगा) की धारा 38(4) के तहत् पारित किये गये हैं, के विरूद्ध प्रस्तुत की गई हैं। अपीलों में अपीलीय प्रधिकारी द्वारा वर्ष 2012–13 एवं 2010–11 के लिये कायम की गयी मांग राशियों की वसूली पर रोक लगाने के प्रार्थना पत्रों को अस्वीकार करने को विवादित किया गया है । उभय पक्ष की बहस सुनी गयी। अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक का कथन है कि दोनों प्रकरणों में दिनांक 28.03.2016 को मूल अपील को ही अपीलीय अधिकारी द्वारा निर्णित किया जा चुका है, इस कारण से यह दोनों अपीलें निष्प्रभावी हो गयी है। अतः यह अपीलें चलने योग्य न होने से खारिज की जावें। विद्वान उप–राजकीय अभिभाषक ने उपर्युक्त वर्णित कथन से अपनी सहमति व्यक्त की एवं दोनों अपीलों को निष्प्रभावी हो जाने के कारण खारिज करने का निवेदन किया। उभय पक्ष की बहस पर मनन करने के पश्चात दोनों प्रकरणों में अपीलार्थी अभिभाषक के कथन के अनुसार अपीलीय अधिकारी द्वारा उनके समक्ष लम्बित मूल अपीलों का निस्तारण किया जा चुका है, जिससे यह दोनों अपीलें मय स्थगन प्रार्थना पत्र निष्प्रभावी (infructuous) हो जाने से अस्वीकार किये जाने योग्य है। अतः अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत दोनों अपीलें निष्प्रभावी (infructuous) हो जाने के फलस्वरूप अस्वीकार की जाती हैं। निर्णय सुनाया गया। (मदन लाल) सदस्य (खेमराज) अध्यक्ष	